



सप्तदश बिहार विधान सभा

षष्टम् सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-30.06.2022 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

1. श्री राणा रणधीर,
स०वि०स०

“राज्य के प्रत्येक गांवों एवं शहरों की आबादी दिनों-दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन बढ़ती आबादी के अनुपात में पुलिस महकमों के सबसे निचले स्तर एवं मजबूत स्तंभ के रूप में कार्य करनेवाले चौकीदारों के पदों की संख्या में बढ़ोत्तरी नहीं होने के कारण राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के थानों की सूचना तंत्र कमजोर होती जा रही है जिसके कारण अपराधी इसका फायदा उठा रहे हैं।

अतः ग्रामीण एवं शहरी थानों के सूचना तंत्र को मजबूत करने के लिए राज्य में चौकीदारों के पदों की संख्या बढ़ाने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।”

2. श्री पवन कुमार जायसवाल,
संवि०सं०
श्री विनय बिहारी,
संवि०सं०
श्री सुनील मणि तिवारी,
संवि०सं०
श्री राम सिंह,
संवि०सं०
श्री उमाकांत सिंह,
संवि०सं०
श्री ललन कुमार,
संवि०सं०
श्री राज कुमार सिंह,
संवि०सं०
श्री अशोक कुमार चौधरी,
संवि०सं०
श्री सुदर्शन कुमार,
संवि०सं०
श्री संजय सरावगी,
संवि०सं०


“मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी संकल्प पत्रांक-4 / मं. स. का. का. (गठन) 01/2011 (पार्ट-1) 382, 383, 384 दिनांक-18.11.2016 द्वारा राज्य में विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विभिन्न स्तरों पर राज्य / जिला / प्रखण्ड बीस सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के पुनर्गठन हेतु निर्णय लिया गया था।

राज्य स्तर पर गैर पदधारक / सामाजिक / दलीय कार्यकर्ता-33, जिला पर-33, प्रखण्ड स्तर पर-32 सदस्यों को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा नामित करने का प्रावधान संकल्प में सन्निहित है। इस अनुसार राज्य में जिला स्तर पर 1254 एवं प्रखण्ड स्तर पर 17088 सामाजिक / दलीय कार्यकर्ताओं की भागीदारी राज्य द्वारा संचालित योजनाओं के निरीक्षण / पर्यवेक्षण / अनुश्रवण में होगा, परन्तु राज्य में विगत 6 वर्षों से राज्य / जिला / प्रखण्ड स्तर पर सदस्यों को नामित नहीं किए जाने से सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का बेहतर अनुश्रवण नहीं हो रहा है।


अतः लोक हित में राज्य में जिला / प्रखण्ड स्तर पर “बीस सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति” की बैठक विगत 6 वर्षों से नहीं होने के लिए जिम्मेवार पदाधिकारी पर कार्रवाई तथा संकल्प अनुसार सदस्यों को शीघ्र नामित कर बैठक आयोजित करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।”

पवन कुमार पाण्डेय
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।


ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-26/2022- 2984 / वि०स०, पटना, दिनांक- 29 जून, 2022 ई० ।
प्रति:- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


(विमलेन्दु भूषण कुमार)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।


ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-26/2022- 2984 / वि०स०, पटना, दिनांक- 29 जून, 2022 ई० ।
प्रति:- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्रिगण के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रिगण एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


(विमलेन्दु भूषण कुमार)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-26/2022- 2984 / वि०स०, पटना, दिनांक- 29 जून, 2022 ई० ।
प्रति:- मुख्य सचिव, बिहार / राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / गृह विभाग तथा मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


(विमलेन्दु भूषण कुमार)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-26/2022- 2984 / वि०स०, पटना, दिनांक- 29 जून, 2022 ई० ।
प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रभारी सचिव के प्रधान आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।


(विमलेन्दु भूषण कुमार)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।